

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2418/2012/उदयपुर

सहायक आयुक्त,  
वाणिज्यिक कर, वृत्त-“सी”, उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स तुषार मार्केटिंग,  
पानेरी उपवन के सामने, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप राजकीय अधिवक्ता  
श्री वी.के.पारीक,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से

निर्णय दिनांक : 14/12/2017.

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 70/वेट/11-12 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘सी’, उदयपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 25 के तहत आरोपित कर राशि रुपये 1,26,713/- व ब्याज राशि रुपये 38,014/- को प्रतिप्रेषित किया गया है एवं आरोपित शास्ति राशि रुपये 2,61,866/- को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा “HERBITA” (चॉकलेट) का विक्रय अनब्राण्डेड मानकर 4 प्रतिशत कर चुका कर किया जाता है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा “HERBITA” को ब्राण्डेड चॉकलेट मानकर उस पर 12.5 प्रतिशत से कर का आरोपण करते हुए प्रत्यर्थी व्यवसायी पर अतिरिक्त कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2012 द्वारा प्रकरण को कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया एवं शास्ति के बिन्दु पर व्यवसायी की अपील को स्वीकार करते हुए शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रकरण में विवाद यह था कि व्यवसायी द्वारा विक्रय की गई कन्फेक्शनरी अनब्राण्डेड होने से 4 प्रतिशत से विक्रय किया गया था जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे “HERBITA” ब्रांड का मानते हुए 12.5 प्रतिशत से करारोपण एवं करारोपण मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा

लगातार.....2


प्रकरण में सुनवाई कर यह अवधारित किया कि पत्रावली पर केवल लेबल के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर यह आदेश किया कि वे बिक्रीत माल "चोकलेट" को ब्रांडेड होना प्रमाणित करे। प्रकरण में विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने स्वयं ने यह जाहिर किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण किया जा चुका है अतः यह बिन्दु सारहीन हो गया है अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

5. प्रकरण में राजस्व की ओर से शास्ति को अपास्त करने को भी विवादित किया है। चूंकि प्रकरण में यह विवाद नहीं है कि माल का लेखांकन नहीं किया है या विवरण पत्रों में घोषित नहीं किया है ऐसी स्थिति में केवल कर दर के विवाद पर शास्ति का आरोपण किया जाना अनुचित मानते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6. फलतः इस बिन्दु पर भी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य

  
(के.एल.जैन)  
सदस्य

